केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

12

नए समाज की ओर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)

12.1 **केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण** (कारा) की स्थापना 20 जून, 1990 को हुई । इसे सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 18 मार्च, 1999 को एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया । इसे 17 जुलाई, 2003 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में बाल संरक्षण एवं सहयोग पर हेग कन्वेंशन (1993) के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में पदनामित किया गया । तत्पश्चात्, 17 जुलाई, 2007 को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का नाम बदलकर केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) कर दिया गया । राज्य सरकारों की अनुशंसा पर कारा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए अभिकरणों को मान्यता प्रदान करता है । कारा विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों को भी, जो अपने-अपने देश के उपयुक्त कानूनों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं और जिन्हें विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा संस्तुत किया जाता है, अपनी सूची में रखता है । अब तक कारा ने अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण हेतु देश में 73 भारतीय स्थापन अभिकरणों तथा 24 देशों में 91 सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों, सरकारी विभागों को छोड़कर, को मान्यता प्रदान की है ।

12.2 कारा का समग्र उद्देश्य भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, घरेलू दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना तथा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करना है । शिशु गृह स्कीम तथा दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरणों को सहायतानुदान स्कीम के कार्यान्वयन हेतु कारा कार्यक्रम प्रभाग के रूप में कार्य करता है ।

प्रबंधन समिति

12.3 प्रबंधन समिति में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के सदस्य हैं । कारा कार्यक्रम संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है । कारा के रोज़मर्रा के मामले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सदस्य-सचिव द्वारा निपटाए जाते हैं ।

अधिकारी/कर्मचारी

12.4 कारा में 8 अधिकारी और 19 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

अधिदेश

12.5 कारा को देश में घरेलू दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है ।

कृत्य

12.6 कारा के कृत्य इस प्रकार हैं :

- अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में बाल संरक्षण एवं सहयोग पर हेग कन्वेंशन, 1993 के अंतर्गत यथा-परिकल्पित दत्तक ग्रहण मामलों के संबंध में केन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना ।
- देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने तथा मान्यता-प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरणों और दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरणों के विनियमन और मानीटरन सहित दत्तक ग्रहण से जुड़े अन्य सभी मामलों के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करना ।

- अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत निकायों के रूप में भारतीय स्थापन अभिकरणों को मान्यता प्रदान करना/मान्यता का नवीकरण करना और उनके कार्यकरण को विनियमित करना, उनका निरीक्षण और मानीटरन करना।
- भारतीय बच्चों के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए आवेदनों को प्रायोजित करने के लिए प्राधिकृत निकायों के रूप में विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों को सूचीबद्ध करना/उनकी सूचियों का नवीकरण करना ।
- देश के भीतर और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण दोनों के लिए उपलब्ध अनाथ/परित्यक्त/छोड़ दिए गए बच्चों के संबंध में सूचना के निकासी गृह के रूप में कार्य करना ।
- अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के प्रत्येक मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना ।
- अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण हेतु दिशानिर्देश तैयार करना और कार्यान्वित करना ।
- देश के भीतर दत्तक ग्रहण के संबंध में सामान्य नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं के संबंध में दिशानिर्देश जारी करना ।
- प्रचार और जागरुकता गतिविधियों के माध्यम से दत्तक ग्रहण की संकल्पना को बढ़ावा देना और उसे लोकप्रिय बनाना ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बारे में गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों, चिकित्सा व्यवसायियों, न्यायिक और पुलिस अधिकारियों को जानकारी देना और उनमें संचेतना पैदा करना ।

12.7 कारा का बजट

गैर-योजना

वित्तीय वर्ष	बजट प्राक्कलन (रुपये करोड़ों में)	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय
2004-2005	1.40	1.30	1.19
2005-2006	1.35	1.35	1.26
2006-2007	1.50	1.50	1.39
2007-2008	1.50	1.50	1.29
2008-2009	2.00	2.00	1.37 (31.3.2009 तक की स्थिति के अनुसार)

योजना

वित्तीय वर्ष	बजट प्राक्कलन (रुपये करोड़ों में)	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय
2007-2008	2.00	2.00	00.77
2008-2009	*2.00	1.55	1.01 (31.3.2009 तक की स्थिति के अनुसार)

*पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 20 लाख रुपये सहित

12.8 सम्बद्ध अभिकरण

I. **मान्यता-प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण :** इस समय बच्चों के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए कारा द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण अभिकरणों की संख्या 73 है ।

II. **शिशु गृह :** इस समय घरेलू दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृह स्कीम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले शिशु गृहों (गैर-सरकारी संगठनों और सरकार द्वारा संचालित गृह) की संख्या 76 है ।

III. **सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण :** भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए संभावित विदेशी दत्तक अभिभावकों के आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए कारा द्वारा सूचीबद्ध विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों की संख्या 91 है । इसके अलावा, 24 देशों के 46 सरकारी विभाग भी इस कार्य में संलग्न हैं ।

IV. **दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरण :** इस समय देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने, दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों तथा दत्तक ग्रहण के इच्छुक भावी अभिभावकों की राज्य स्तर पर सूचियां बनाए रखने, दत्तक ग्रहण का प्रचार करने और इसके बारे में जागरुकता पैदा करने तथा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए स्वीकृति पत्र जारी करने के लिए कारा द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरणों की संख्या 18 है ।

दत्तक ग्रहण के संबंध में आंकड़े

12.9 पिछले पांच वर्षों के दौरान मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरणों/शिशु गृहों के माध्यम से गोद लिए गए बच्चों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष (जनवरी से दिसम्बर)	देश के भीतर दत्तक ग्रहण			प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/विदेशियों द्वारा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए दिए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की संख्या	कुल (4+5)
1	2	3	4	5	6
	पंजीकृत भारतीय स्थापन अभिकरण	शिशुगृह	कुल (2+3)		
2004	1707	587	2294	1021	3315
2005	1541	743	2284	867	3151
2006	1536	873	2409	852	3261
2007	1510	984	2494	770	3264
2008	1419	*750	2169	821	2990

*ये संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योकि कई अभिकरणों से सूचना अभी आनी है । इन आंकड़ों में राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य लाइसेंस प्राप्त दत्तक ग्रहण अभिकरणों के देश के भीतर दत्तक ग्रहण से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं है ।

2008 (31.12.2008 तक की स्थिति)

मान्यता-प्राप्त नए भारतीय दत्तक ग्रहण स्थापन अभिकरण : 07

सूची में शामिल नए विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण : 4

प्रचार और जागरुकता विकास

12.10 वर्ष 2008-09 के दौरान किए गए कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं :

निम्नलिखित के संबंध में विज्ञापन जारी किए गए हैं :

विभिन्न अनाथालयों से आए बच्चों से मुलाकात करतीं श्रीमती रेणुका चौधरी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उनकी बाईं ओर अध्यक्ष, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)

(1) गैर-कानूनी दत्तक ग्रहण से सावधान रहें

(2) दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरणों के बारे में विज्ञापन

(3) बाल गृहों के पंजीकरण तथा विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों को मान्यता के संबंध में विज्ञापन

(4) दत्तक ग्रहण स्थापन अभिकरणों के रूप में मान्यता देने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन

(5) स्थापन अभिकरणों तथा शिशु गृहों की सूचियों को प्रमुख समाचार पत्रों में छपवाना

12.11 कारा ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 14-27 नवम्बर, 2008 तक प्रगति मैदान में आयोजित वात्सल्य मेले में भाग लिया ।

श्रव्य-दृश्य प्रचार

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने कारा के लिए दिल्ली दूरदर्शन समाचार तथा आकाशवाणी के लिए ऑडियो-वीडियो स्पॉट तैयार किए ।

प्रकाशन

1. वर्ष 2006 में संशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण
2. दत्तक ग्रहण - आजीवन बंधन

प्रशिक्षण/विकास गतिविधियां

12.12 कारा ने 'बालक दत्तक ग्रहण हेतु राष्ट्रीय प्रयास' के अंतर्गत अभिविन्यास कार्यक्रम शुरू किए । वर्ष 2000-01 से प्रयास के अंतर्गत 7 चरण पूरे हो चुके हैं । विभिन्न लक्ष्य वर्गों, जैसे स्थापन अभिकरणों, दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरणों, जांच अभिकरणों, शिशु गृहों, न्यायिक

अधिकारियों, बाल कल्याण समितियों के सदस्यों, चिकित्सा व्यवसायियों और संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों तथा अन्य संबंधित पक्षों के लिए प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं । वर्ष 2008-09 के दौरान एन.आई.सी. की सहायता से ऑन लाइन आंकड़ा आधार पर 10 राज्य अभिविन्यास/संचेतना कार्यक्रम तथा एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, 4 क्षेत्रीय कार्यक्रम संपन्न किए गए । एक पूर्वोत्तर क्षेत्र कार्यक्रम भी पूरा किया गया ।

12.13 कारा द्वारा की गई विभिन्न पहलें :

- वर्तमान दत्तक ग्रहण दिशानिर्देशों में संशोधन
- कारा के भर्ती नियमों में संशोधन
- अनापत्ति प्रमाण पत्रों से संबंधित पुरानी फाइलों (1995-2007) की माइक्रो फिल्मिंग
- नए दत्तक ग्रहण स्थापन अभिकरणों को मान्यता
- नए मान्यता-प्राप्त अभिकरणों के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम
- केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली

शिशु गृह स्कीम

12.14 'देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बाल गृहों (शिशु गृहों) को सहायता की स्कीम' वर्ष 1992-93 से चलाई जा रही है, जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

I. बच्चों की देखरेख के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए देश के भीतर दत्तक ग्रहण का विनियमन;

II. परित्यक्त अथवा अनाथ शिशुओं और 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की देखरेख और संरक्षण तथा देश के भीतर दत्तक ग्रहण के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए देश के भीतर संस्थागत देखरेख हेतु सहायता प्रदान करना ; और

III. देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना ।

12.15 इस स्कीम की निधियन/वित्तीय पद्धति को युक्तियुक्त बनाने के उद्देश्य से इसमें 1997-98 में संशोधन किया गया । राज्य सरकारों द्वारा संचालित संस्थाओं को इस स्कीम के अंतर्गत शामिल करने के लिए इसमें 1 अप्रैल, 2001 को पुनः संशोधन किया गया, ताकि संस्थाओं में रहने वाले तथा कानूनी दृष्टि से दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त सभी बच्चे देश के भीतर पारिवारिक परिवेश प्राप्त कर सकें ।

12.16 गत पांच वर्षों के दौरान सहायतानुदान की स्थिति इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	बजट प्राक्कलन (रुपये करोड़ों में)	संशोधित प्राक्कलन (रुपये करोड़ों में)	वास्तविक व्यय (रुपये करोड़ों में)
2004-2005	2.65	-	2.23 (39 गैर-सरकारी संगठन, 03 राज्य सरकारें, 53 एकक)
2005-2006	5.00	2.00(+ 0.27 लाख रुपये पूर्वोत्तर बजट से)	2.24(37 गैर-सरकारी संगठन, 02 राज्य सरकारें, 49 एकक)
2006-07	2.5	3.00 (पूर्वोत्तर सहित)	2.59(34 गैर-सरकारी संगठन, 05 राज्य सरकारें, 61 एकक, 10 बच्चे प्रति इकाई)
2007-08	3.00	3.00 (पूर्वोत्तर सहित)	2.45(32 गैर-सरकारी संगठन, 04 राज्य सरकारें, 59 एकक)
2008-2009	l3.00	2.80(पूर्वोत्तर सहित)	1.88(27 गैर-सरकारी संगठन, 04 राज्य सरकारें 53 एकक) (31 मार्च, 2009 तक की स्थिति के अनुसार)

* पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 30 लाख रुपये सहित

12.17 शिशु गृह परियोजनाओं वाले राज्यः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल।

दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरणों को सहायतानुदानः

12.18 देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की सामान्य सहायतानुदान स्कीम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरणों (जिन्हें पहले स्वैच्छिक समन्वयन अभिकरण कहा जाता था) को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । पिछले वर्षों के दौरान दिए गए अनुदान का ब्यौरा इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन (रुपये लाखों में)	वास्तविक व्यय (रुपये लाखों में)
2004-2005	40.00	40.00	22.03(09 स्वैच्छिक समन्वयन अभिकरण)
2005-2006	40.00	40.00	43.28 (13 स्वैच्छिक समन्वयन अभिकरण)
2006-2007	45.00	45.00	33.81(12 दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरण)
2007-2008	50.00	50.00	16.98(09 दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरण)
2008-2009	50.00	50.00	40.41(15 दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरण) (31.3.2009 तक की स्थिति के अनुसार)